न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 75/2023

प्रार्थी– | **बनाम** | **अप्रार्थीगण–**

हनुवंतसिंह पुत्र स्व0 श्री गंगासिंह जाति राजपुत निवासी पाटोदी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पाटोदी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा
2. श्री देवराजसिंह पुत्र स्वं0 श्री गंगासिंह जाति राजपुत निवासी 8 सी 2, पाटोदी हाउस, पावटा बी रोड़ जोधपुर।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 169 दिनांक 01.03.2019 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकारश डाबी अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14.05.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा जारी पट्टा संख्या 169 दिनांक 01.03.2019 के विरूद्ध दिनांक 18.01.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम पाटोदी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 169 दिनांक 01.03.2019 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 821.25 वर्ग फीट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में आम रास्ता, बदिशा दक्षिण में गुलाब सिंह पुत्र अर्जून

जिला कलक्टर
बालोतरा

सिंह, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पाटोदी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के मालिकाना स्वामित्व का पैतृक भुखण्ड मौजा पाटोदी की आबादी क्षेत्र में अवस्थित है, जिसका नाप पुर्वी भाग 58 फीट, पश्चिमी भाग 55 फीट, उत्तरी भाग 15 फीट एवं दक्षिणी भाग 30 फीट है। उक्त विवादित भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त सामलाती है, जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सवा अप्रार्थी संख्या 2 का रहा है। तदोपरान्त उक्त भुखण्ड में से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से के भुखण्ड को जरीये बेचान व सहमति से गुलाबसिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपुत को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से के भुखण्ड का बेचान करने के उपरांत शेष भुखण्ड बनाप पुर्वी भुजा 38 फीट, पश्चिमी भुजा 35 फीट, उतरी भुजा 15 फीट, दक्षिणी भुजा 30 फीट कुल क्षेत्रफल 821.25 वर्गफीट भुखण्ड प्रार्थी के एकल मालिकाना स्वामित्व का कब्जासुदा पैतुक भुखण्ड रहा है। प्रार्थी के एकल मालिकाना स्वामित्व के शेष भुखण्ड से अप्रार्थी संख्या 2 को कोई लेनादेना या सरोकार नही रहा, किन्तु उसके उपरांत भी प्रार्थी के एकल मालिकाना स्वामित्व के भुखण्ड को हड़प करने की बदनियति से आपराधिक षड़यंत्र रचकर अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से अवैध व अनाधिकृत तरीके से मिलावट कर अप्रार्थी संख्या 2 के

जिला कलक्टर
बालोतरा

पक्ष में गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा संख्या 169 दिनांक 01.03.2019 जारी करवा दिया गया। उक्त विवादित भूखण्ड ठा. गंगासिंह के समय का है व प्रार्थी के एकल मालिकाना स्वामित्व का भूखण्ड है, किन्तु उसके उपरांत भी बिना प्रार्थी को सुनवाई सबुत का अवसर दिये मिलावट के आधार पर गलत तरीके से एकतरफा कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में विधि एवंत तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पर एकमात्र कब्जा मालिकाना स्वामित्व प्रार्थी का रह है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड को पिछले करीब 2 वर्षों से गंगाराम पुत्र ताजाराम जाति सांसी निवासी पाटोदी को जुती सिवाई हेतु ढाबा लगाने के लिए मासिक 500/— के हिसाब से किराये पर दिया हुआ है। गंगाराम सांसी द्वारा नियमित रूप से किराया प्रार्थी को अदा किया जाता रहा है। इस प्रकार उक्त भुखण्ड पर एकमात्र कब्जा नियमित व सतत रूप से निगरानीकर्ता का रहा है। आलोच्य पट्टा जारी करने से पुर्व किसी प्रकार का मौका मुआयना या नाप इत्यादी नहीं किया। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा ही नही था, और न ही अप्रार्थी संख्या 2 ने डीएलसी राशि या सरचार्ज इत्यादी राजकीय कोष में जमा करवाकर आलोच्य पट्टे का पंजीयन इत्यादी ही करवाया है। इस प्रकार उक्त पटटा नियम 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

6. विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत उक्त निगरानी पेश की है। अनवान पन्नालाल बनाम श्रीमती सुशीला देवी राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय का हवाला देते हुए कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 धारा 61 के तहत आबादी भूमि के संबंधित निगरानी की प्रथम अपील पंचायत समिति के समक्ष 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होती है न की न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष पेश करे। अप्रार्थी

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 2 ने गंगाराम पुत्र तारारामजी जाति सांसी के किरायाना नामा का शपथ पत्र पेश करते हुए अधिवक्ता प्रार्थी का खण्डन करते हुए कथन किया कि श्री गंगाराम पुत्र ताराराम जाति सांसी मौजा पाटोदी में श्री हनुवन्तसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गंगासिंह का किरायेदार नहीं रहा हूं व न ही वर्तमान में किराएदार है। उक्त आलोच्य भुखण्ड संबंधित म्युटेशन में गौचर भूमि से आबादी भूमि अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी ने गलत पैमाइश के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है जो खारिज होने योग्य है।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड वारीसान होने के बारे में बल देते हुए प्रकट किया हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा गलत जारी किया गया हैं, जबकि इस न्यायालय को इस प्रकार के विरासत अधिकार एवं हक-हिस्सा की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जिसके विरूद्ध इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा धारा 97 के तहत आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने के आदेश की सत्यता, वैधता एवं औचित्यता को देखा जाना है। पक्षकारान के स्वानित्व अधिकारों का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं हैं। उक्त के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ 4(10) पंरावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 जारी किया गया है। उक्त विवादित भूखण्ड पैतृक एवं संयुक्त स्वानित्व का है तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हों कि भूखण्ड पैतृक स्वामित्व का हैं। जहां तक आलौच्य पट्टा अन्तर्गत ग्राम पंचायत की कार्यवाही की सत्यता एवं वैधता का प्रश्न हैं तो अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा अपने पुराने निवासगृह का आवासीय पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मे पत्रावली का संधारण किया जाकर शुल्क वसूल कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का

जिला कलक्टर
बालोतरा

नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। इसके पश्चात पंचायत की आम बैठक मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय मे प्रत्येक प्रक्रम की कार्यवाही को आदेशिका में अंकित किया गया है तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य मे सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न किया जाना पाया जाता हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक–अधिकार होना मानता हैं तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करते हुए चाराजोही करवानी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे सम्पन्न समस्त कार्यवाही विधि अनुसार विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना प्रतीत होता है, साथ ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं जिसमे पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नही हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने के साथ ही आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
बालोतरा